## समक्ष न्यायालय श्रीमान् बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जबलपुर म.प्र.

रिवीजन प्रकरण क्रमांक ................/2016 निग-2519-I-16

1. श्रीमती पूजा भसीन पति विशाल भसीन
निवासी-946, भसीन बिल्डिंग, गुरूद्वारे के पास, रांझी, जबलपुर म.प्र.

2. श्रीमती पायल दुबे पति अरविंद दुबे
निवासी-ग्वारीघाट, जबलपुर म.प्र. ......आवेदकगण/रिवीजनकर्तागण
(पूर्व में अनावेदकगण)

विरूद्ध

नवदीप विजन पिता गुलशन विजन
निवासी-18, आदर्श नगर,
ग्वारीघाट, जबलपुर म.प्र. ........अनावेदक
(पूर्व में आवेदक)

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

न्यायालय श्रीमान् सी.एल. वर्मा तहसीलदार कैंट, जबलपुर म.प्र. के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 859/अ-6/2014-15 पक्षकार नवदीप विजन विरूद्ध पूजा भसीन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.07.2016 से व्यथित होकर आवेदकगण / रिवीजनकर्तागण के द्वारा यह रिवीजन निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

तथ्य

1. यह कि अनावेदक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार कैंट जबलपुर के समक्ष एक नामांतरण प्रकरण क्रमांक 859/अ-6/2014-15 इस आशय का प्रस्तुत किया था कि अनावेदक के पक्ष में श्रीमती शशि विजन पति किशनलाल विजन ने एक अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 16.04.2012 मौजा कटियाघाट नं.ब. 506 प.ह.नं. 23/27 तह. व जिला जबलपुर स्थित खसरा नं. 80/1 रकबा 1.962 है. भूमि के संबंध में निष्पादित की है उक्त वसीयतनामे के आधार पर अनावेदक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज कराना चाहता है।
2. यह कि उक्त प्रकरण का नोटिस मिलने के पश्चात् आवेदकगणों के द्वारा उक्त प्रकरण में अपना जबाव एवं प्रतिदावा अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस आशय का प्रस्तुत किया था कि श्रीमती शशि विजन अनावेदकगणों की सगी माँ है शशि विजन के द्वारा, अनावेदक के पक्ष में वसीयत निष्पादित नहीं की गई है। वसीयत का स्टाम्प अनावेदक के द्वारा अपनी स्वंय की आईडी से वास्ते इकरारनामा के लिए लाया गया है। उक्त वसीयत फर्जी एवं बनावटी है उक्त वसीयत में शशि विजन के हस्ताक्षर नहीं है उक्त वसीयत में फर्जी व कूटरचित तरीके से शशि विजन के हस्ताक्षर किये गये हैं। उक्त वसीयत के स्टाम्प में कहीं पर भी वसीयतनामे का उल्लेख नही है। जो नोटरी के द्वारा नोटराईज नहीं की गई है।
3. यह कि उक्त प्रकरण में अनावेदक एवं आवेदकगणों की संपूर्ण साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण होने के पश्चात् उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अंतिम तर्क हेतु दिनांक 08.07.2016 के लिए नियत किया था।
4. यह कि जब आवेदकगण के अधिवक्ता उक्त प्रकरण में दिनांक 08.07.2016 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतिम तथ्य हेतु उपस्थित हुये थे तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि अनावेदक के द्वारा उक्त नामांतरण प्रकरण में अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा

**XXXIX(a)BR(H)-11**

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

प्रकरण कमांक निगरान 2579–एक/16 जिला – जबलपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 01–8–16 | प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक तथा कैवियटकर्ता अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा तहसीलदार की आदेश पत्रिका दिनांक 8–7–16 का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा अनावेदक की ओर से सी0पी0सी0 के आदेश 7 नियम 14 का आवेदन इस निष्कर्ष के साथ स्वीकार किया गया है कि प्रकरण का निराकरण दस्तावेज के आधार पर ही होना है अतः दस्तावेज का प्रमाणीकरण न्यायहित में कराया जाना उचित है । इसी प्रकार सी0पी0सी0 के आदेश 18 नियम 17 सहपठित धारा 151 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन भी इस निष्कर्ष के साथ स्वीकार किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण होना है जिसमें पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर देना न्यायसंगत है । और अनावेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रति आवेदक को प्राप्त होने पर उसे स्वीकार करने पर सहमति आवेदकगण द्वारा दी गई है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा विधिसंगत एवं न्यायसंगत निष्कर्षों के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है । अतः तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही प्रथमदृष्टया विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अग्राह्य की जाती है ।<br>उभयपक्ष सूचित हों ।<br>सदस्य | |